प्रेस नोट
दिनांक 17.04.2024

थाना वजीरगंज क्षेत्रान्तर्गत मिलें शव की घटना में 03 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

कार्यवाही–

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–148/24, धारा 306 भादवि से सम्बन्धित 03 आरोपी अभियुक्तो–01. शनी सोनी, 02. पप्पू उर्फ बृजेश कुमार, 03. सन्त कुमार तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 16.04.2024 को समय करीब सुबह 6:30 बजे थाना वजीरगंज पुलिस को मिश्रीलाल नाम के व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई की उनके भाई संजय सोनी पुत्र बाबादीन सोनी निवासी बनकटवा हरनाटायर, थाना मनकापुर का शव कथावा पुल पे पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल थाना वजीरगंज पुलिस एवं उच्च अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंच कर जांच की गई, तो जांच में पाया गया कि मृतक की कनपटी पर गनशॉट इंजरी का निशान है व पास में ही एक तमंचा 12 बोर पड़ा हुआ है। मृतक की मोटरसाइकिल बगल के खड़ी हुई है। सूचना पर तत्काल फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई थी। मृतक के कमरे से मृतक द्वारा लिखा गया एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था। जिसमें मृतक ने काफी कर्ज हो जाने के कारण अपनी परेशानी का उल्लेख किया था। उक्त सुसाइड नोट में मृतक द्वारा तीन व्यक्तियों को आत्महत्या का जिम्मेदार ठहराया गया था। पुलिस टीम द्वारा उक्त सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर उसका परीक्षण किया गया जिसमें तीनों आरोपी अभियुक्त– 01. शनी सोनी, 02. पप्पू उर्फ बृजेश कुमार, 03. सन्त कुमार तिवारी दोषी पाए गए जिनकों थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. शनी सोनी पुत्र स्वर्गीय शिव शंकर सोनी नि0 ग्राम हरना टायर बनकटवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. संत कुमार तिवारी पुत्र शिव कुमार तिवारी नि0 ग्राम नियामतपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।
03. बृजेश सिंह उर्फ पप्पू सिंह पुत्र हौसला सिंह नि0 ग्राम सेहरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–148/2024, धारा 306 भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. व0उ0नि0 श्री विश्वास कुमार चतुर्वेदी।
02. उ0नि0 यू0टी0 पंकज यादव।
03. हे0का0 विनोद सोनी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 17.04.2024, थाना को0 नगर,
जनपद गोण्डा।

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा चोरी करने की 02 महिलाओं को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0–238/24, धारा 379,411 भादवि से सम्बन्धित 02 महिलाओं–01. गुंजन देवी, 02. गुड्डी को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 16.04.2024 को वादी अरूण वर्मा पुत्र खुदी वर्मा नि0 मोहम्मनगर चाइनाडिह थाना रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर द्वारा थाना को0 नगर में तहरीर दी गयी कि वह अपनी पत्नी के साथ रेलवे स्टेशन गोण्डा से बस स्टाप गोण्डा जाने हेतु ई–रिक्शा में बैठ कर जा रहा था। रास्ते में ई–रिक्शा में बैठी 02 महिलाओं द्वारा मेरी पत्नी के पर्स से 01 जोड़ी पायल, कान के टप्स व 7000/– रू0 चुरा लिया है। वादी की तहरीर पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना को0 नगर पुलिस द्वारा दोनो महिलाओं को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के गहने व 7000/– बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ताओं के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तागण–

01\. गुंजन देवी पत्नी गोविन्द कुमार नि0 कोटिया सिकरीगंज गोरखपुर।
02\. गुड्डी पत्नी जुगानी नि0 अराव जगदीश ऊरूवा बाजार गोरखपुर।

पंजीकृत अभियोग–

01\. मु0अ0सं0–238/24, धारा 379,411 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01\. 01 जोडी पायल।
02\. 01 जोड़ी कान के टप्स।
03\. 7,000/– रू0 नगद।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01\. हे0मो0 विनोद कुमार यादव।
02\. म0आ0 संज्ञा भारती।
03\. म0आ0 रिया सिंह।

प्रेस नोट

दिनांक 17.04.2024, थाना को0 नगर,
जनपद गोण्डा।

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 अदद मोबाइल फोन व 01 अदद अवैध तमंचा मय कारतूस बरामद –

कार्यवाहीः–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0–236/24, धारा 379 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त खलील उर्फ नक्कू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद चोरी का रियलमी मोबाइल फोन व 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 16.04.2024 को वादिनी अरूणिमा पाण्डेय पुत्री अमरनाथ पाण्डेय ग्राम डुमरिया पो0 सौनारा बुजुर्ग थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि ई–रिक्शा से मै दुःख हरन नाथ मंदिर से जयनारायण चौराहा जा रही थी कि रास्ते में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरा मोबाइल फोन पर्स से निकाल लिया है। वादिनी की तहरीर पर थाना को0 नगर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 17.04.2024 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा सुरागरसी–पतारसी कर प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त खलील उर्फ नक्कू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद चोरी का रियलमी मोबाइल फोन व 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. खलील उर्फ नक्कू पुत्र फकीरे नि0 सीरपुरवा भरहापारा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–234/24, धारा 379,411 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–240/24, धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद चोरी का रियलमी मोबाइल फोन।
02. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 उदित कुमार वर्मा।
02. मु0आ0 अंगद गौड़।
03. का0 राहुल पाल।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>

<u>दिनांक 17.04.2024, थाना छपिया,</u>
<u>जनपद गोण्डा।</u>

<u>थाना छपिया पुलिस द्वारा चोरी की योजना बनाते समय 03 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी करने के उपकरण व 20 अदद चोरी के सोलर पैनल बरामद–</u>

<u>कार्यवाहीः–</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना छपिया पुलिस टीम द्वारा चोरी की योजना बनाते समय 03 शातिर चोरों–01. शिवपूजन यादव उर्फ घसियारे, 02. रामपाल उर्फ पाले, 03. राम सजीवन को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी करने के उपकरण व 20 अदद चोरी के सोलर पैनल बरामद किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण–</u>

दिनांक 16/17.04.2024 की रात्रि को थाना छपिया के उ0नि0 दिलीप कुमार सिंह मय हमराह फोर्स के साथ रात्रि गस्त में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि बिरहीपुर बगिया से चोरी की योजना बनाते समय 03 अभियुक्तो–01. शिवपूजन यादव उर्फ घसियारे, 02. रामपाल उर्फ पाले, 03. राम सजीवन को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी करने के उपकरण व 20 अदद चोरी के सोलर पैनल बरामद किया गया। बरामद सोलर पैनलों के बारे में कड़ाई से पूछताछ के दौरान अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि हमलोगो द्वारा करीब ढाई महीने पहले ग्राम परवरपारा(परशुरामपुर) जनपद बस्ती में बनी पानी टंकी से चोरी किए थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण–</u>

01. शिवपूजन यादव उर्फ घसियारे पुत्र करमराज यादव निवासी ग्राम खुर्दाबाद मौजा जफरापुर थाना नवाबगंज जनपद गोंडा।
02. रामपाल उर्फ पाले पुत्र रामदुलारे निवासी ग्राम टपरा मौज इस्माइलपुर थाना नवाबगंज जनपद गोंडा।
03. राम सजीवन पुत्र रामदुलारे निवासी ग्राम टपरा मौजा इस्माइलपुर थाना नवाबगंज जनपद गोंडा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–96/24, धारा 41,401,411 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>

01. 03 अदद प्लास्टिक की टॉर्च, 01 अदद लोहे का प्लास, 01 अदद लोहे का पेचकस, 01 अदद चाबी का गुच्छा, 01 अदद लोहे की राड, 01 अदद लोहे की आरी ब्लेड व चोरी के 20 अदद सोलर पैनल व 1780 रुपए नगद।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. उ0नि0 दिलीप कुमार सिंह।
02. उ0नि0 अवनीश शुक्ला।
03. हे0का0 आशुतोष यादव।
04. का0 अभिषेक कुमार सिंह।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 17.04..2024, थाना को0 नगर
जनपद गोण्डा।

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा प्रतिबन्धित नशीली गोलियों के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही:–
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा लोकसभा सामान्य चुनाव–2024 व आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय सिंह के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण, शान्ति सुरक्षा व्यवस्था व संदिग्धों वस्तुओं/वाहनों की चेकिंग के दौरान 300 नशीली गोलियों के साथ अभियुक्त साजन प्रजापति को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–
आज दिनांक 17.04.2024 को थाना को0 नगर के उ0नि0 राजेन्द्र कनौजिया मय फोर्स क्षेत्र भ्रमण, शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था व संदिग्ध वाहनों/वस्तुओं की चेंकिगं में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अदम गोड़वी मैदान गेट के पास से अभियुक्त साजन प्रजापति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 300 अल्प्राजोलम की गोलिया बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–
01. साजन प्रजापति पुत्र नन्द किशोर नि0 म0नं0 547 आश्रय आवास सिविल लाइन थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–241/2024 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–
01. 300 टेबलेट अल्प्राजोलम।

गिरफ्तार कर्ता टीम–
01. उ0नि0 राजेन्द्र कनौजिया।
02. हे0का0 अफजल अली।
03. का0 रामनाथ प्रजापति।

मीडिया सेल, गोण्डा।